पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

राज्य सरकार के अनुरोध पर राज्यपाल ने विधान परिषद सदस्य नामित करने वाली पत्रावली वापस भेजी

लखनऊः 28 मार्च, 2016

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने राज्य सरकार के अनुरोध पर विधान परिषद सदस्य नामित करने की पत्रावली वापस भेज दी है। राज्यपाल ने अपेक्षा की है कि मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के आश्वासन के अनुसार नये नामों की संस्तुति के साथ पत्रावली शीघ्र भेजी जाये। राज्यपाल ने अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि उनके और मुख्यमंत्री के बीच सम्पन्न कई बैठकों में चर्चा हुई थी और मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया था कि वह नये नामों का प्रस्ताव भेजेंगे, किन्तु अभी नये नाम की सूची राजभवन को प्राप्त नहीं हुई है।

श्री नाईक ने पूर्व प्रेषित पाँच व्यक्तियों के नामों (1) डा0 कमलेश कुमार पाठक (2) श्री संजय सेठ (3) श्री रणविजय सिंह (4) श्री अब्दुल सरफराज खाँ (5) डा0 राजपाल कश्यप को विधान परिषद का सदस्य नामित करने हेतु भेजी गई पत्रावली को वापस करते हुए कहा है कि उपरोक्त कई व्यक्तियों के विरुद्ध अपराधिक मामले थे तथा वे संविधान के अनुच्छेद 171(5) के अन्तर्गत उल्लिखित कुल 05 क्षेत्रों साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आन्दोलन तथा समाज सेवा में से किसी भी क्षेत्र में विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव नहीं रखते हैं जिस कारण उन्हें विधान परिषद का सदस्य नामित नहीं किया जा सकता है।

उल्लेखनीय है कि माह मई, 2015 में मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव द्वारा विधान परिषद का सदस्य नामित किये जाने के लिए कुल 09 नामों की संस्तुतियाँ राज्यपाल से की गयी थीं जिनमें से 04 नामों (1) श्री श्रीराम सिंह यादव (2) श्रीमती लीलावती कुशवाहा (3) श्री रामवृक्ष सिंह यादव (4) श्री जितेन्द्र यादव पर राज्यपाल द्वारा दिनांक 02.07.2015 को अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है।

अंजुम/ललित/राजभवन (118/40)